

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०- 276/सं० कौ०

दिनांक- 08.7.13

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 के अंतर्गत विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देने/विद्युत पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र और तारकर्मियों/वायरमैन को परमिट मंजूर करने हेतु लाईसेंसिंग बोर्ड के गठन की विभागीय अधिसूचना सं०- 17 दिनांक- 19.09.1998 एवं अधिसूचना सं०- 05 दिनांक- 12.03.2004 को वर्तमान समय में निरस्त किया जाता है एवं विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 177 के उपधारा (2 बी0) तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम 2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 के आलोक में लाईसेंसिंग बोर्ड का गठन किया जाता है।

नवगठित लाईसेंसिंग बोर्ड में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे -

1.	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	संबंधित distribution company के कार्यपालक अभियंता	-	सदस्य
3.	मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता	-	सदस्य
4.	जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी	-	सचिव सह सदस्य

2. उपस्थित चार सदस्यों में से एक सदस्य किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक अवश्य हो।

3. पूर्ण बोर्ड कोरम 3 (तीन) सदस्यों का माना जायेगा।

4. बोर्ड के कृत्य :- बोर्ड के निम्न कृत्य होंगे :-

(i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस देना।

(ii) विद्युत पर्यवेक्षक और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के लिए परीक्षाओं का संचालन करना।

(iii) विद्युत पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण पत्र और तारमिस्त्रीयों को वायरमैन का परमिट मंजूर करना।

(iv) इन शर्तों के अधीन दिये गये क्षमता प्रमाण पत्र, परमिट या लाईसेंस प्राप्त करने वाले विद्युत पर्यवेक्षक, तारमिस्त्री (वायरमैन) या ठीकेदार को शर्तों के उल्लंघन अथवा कदाचार के आरोपों की जाँच कर दोषी पाये जाने पर यथावत कार्रवाई कर उन्हें दिये गये क्षमता प्रमाण-पत्र, परमिट या लाईसेंस को रद्द करना ।

5. बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश, नियमों विनियमों के अनुसार जिलान्तर्गत किसी भी केन्द्र में परीक्षा और जाँच लेने के प्रयोजनार्थ परीक्षकों को मनोनीत करना तथा इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वित करना, विद्युत ठीकेदारों के लाईसेंस स्वीकृति, नवीकरण की प्रक्रियाओं का नीति निर्धारण करना ।

6. बोर्ड की बैठक :- बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होना आवश्यक होगा ।

7. बैठक का समापति :- अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक का समापति होगा ।

8. अध्यक्ष का कर्तव्य :- अध्यक्ष के निम्न कर्तव्य होंगे :-

(i) बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना जब तक की युक्तिसंगत परिस्थितियों एवं कारणों के आधार पर ऐसा करने से रोक न जाय ।

(ii) बोर्ड की ओर से बोर्ड द्वारा जारी किए गए अथवा बैठक में निर्णय के आधार पर विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षक तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) को प्रमाण पत्र और परमिट मंजूर करना तथा उन्हें निर्गत करने का आदेश देना ।

9. सचिव के कर्तव्य :-

(i) विद्युत ठीकेदार लाईसेंस के सभी आवेदन पत्रों पर निरीक्षण करना और उन्हें अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करना तथा उनके संबंध में पत्राचार करना और अनुमोदनोपरान्त लाईसेंस निर्गत करना ।

(ii) पर्यवेक्षकों और तारकर्मियों (वायरमैन) की परीक्षाओं में प्रवेशनार्थ दिये गये आवेदन पत्रों को पर निरीक्षण करना और उनके संबंध में पत्राचार करना तथा सभी नियमों को अनुपालन कराने में अध्यक्ष की सहायता करना ।

(iii) ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षकों तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के प्रमाण पत्रों और परमितों को नवीकरण करना ।

(iv) बिहार स्टेट (पावर) होल्डिंग कं० लि० सहित सभी संबंधित विद्युत आपूर्ति प्राधिकारों को दिये गये और रद्द किये गये सभी लाईसेंसों के विषय में सूचना निर्गत करना ।

10. परीक्षा (पर्यवेक्षक एवं तारकर्मियों की) :-

(i) परीक्षा सिर्फ मौखिक ली जायेगी । इस परीक्षा में पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारमिस्त्रीयों को वायरमैन परमिट प्रदान किये जायेगे ।

(ii) मौखिक परीक्षा में व्यवहारिक ज्ञान की भी परीक्षा ली जायेगी जिससे उनके विद्युत संबंधी कार्य की कार्य कुशलता एवं क्षमता के ज्ञान की जानकारी हो सके ।

11. बोर्ड के द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षकों के क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारमिस्त्रीयों के परमिट हेतु मौखिक परीक्षा के स्थानों और तिथियों की सूचना लाईसेंसिंग बोर्ड के सचिव के द्वारा प्रत्येक उम्मीदवारों को कम से कम 21 दिन पहले पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा ।

12. पर्यवेक्षक के परीक्षा में प्रवेश की शर्तें :-

(i) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ii) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम दो वर्षों का विद्युत कार्य में कार्यानुभव आवश्यक होगा ।

(iii) दो वर्षीय ईलेक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षों का विद्युत संयंत्रों का रख-रखाव का अधिष्ठापन में व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।

(iv) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 06 (छः) वर्षों का विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।

(v) विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

(क) सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।

(ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(ग) अनुभव प्रमाण-पत्र ।

(घ) दी गई फीस का प्रमाण-पत्र ।

(ङ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (संगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा ।

(च) आवासीय प्रमाण पत्र ।

13. तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट हेतु मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक जांच के लिए साक्षरता :-

(i) तारमिस्त्री हेतु आवेदक को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।

(ii) विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

- (क) सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति ।
- (ग) अनुभव प्रमाण-पत्र ।
- (घ) दी गई फीस का प्रमाण-पत्र ।
- (ङ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (रंगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा ।
- (च) आवासीय प्रमाण पत्र ।

14. क्षमता प्रमाण पत्र अथवा परमिट हेतु सचिव कोई भी आवेदन पत्र जो विचार में त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरा पाया जायेगा उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी पावती रसीद नामांकन के साथ उम्मीदवारों को प्रेषित किया जायेगा ।

15. उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई फीस किसी भी हालत में लौटायी नहीं जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी ।

16. जो आवेदक किसी अन्य राज्य से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे जारी विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ ₹ 250.00 (दो सौ पचास रुपये) भुगतान कर के पारस्परिक आधार पर इस राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें आवेदन पत्र के साथ संबंध राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र भी भेजना होगा ।

17. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र/वायरमैन परमिट खो जाने पर सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष कारणों के साथ शपथ पत्र (एफिडिफिट) करना होगा तभी द्वितीयक बनाया जा सकेगा ।

18. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और परमिट को वापस लेना तथा निलंबन :-

इस नियमावली के अधीन किया गया हरेक पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और परमिट बाद उसे धारण करने वाला इस नियमावली के अधीन किसी अनाचार या कदाचार का दोषी पाया जाय तो उतना अवधि के लिए वापस लिया या निलंबन किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड निर्णय करें ।

19. विद्युत ठीकेदारों का लाईसेंस देना :-

(i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठीकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्रीयों तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उसे संबंधित जिला के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ-पत्र भरना होगा।

(ii) विद्युत ठीकेदार के आवेदन पत्र पर विचार आवेदन पत्र के प्राप्त के एक माह के भीतर करना होगा और आवेदकों को एक लिखित रूप से कारण देते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृति की सूचना सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्णय/आदेश के अनुसार देना होगा।

(iii) अस्वीकृत आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा और उसकी फीस नहीं लौटायी जायेगी।

(iv) लगातार तीन वर्षों तक नवीकरण नहीं किए गए लाईसेंस बोर्ड की अनुमति से रद्द कर दिये जा सकेंगे।

(v) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अंतर्गत होगा।

(vi) लाईसेंस की द्वितीयक/प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाईसेंस में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ पत्र एवं एफ0आई0आर0 की प्रति सहित आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पश्चात् कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा।

(vii) विद्युत ठीकेदार का निर्गत लाईसेंस क्षतिग्रस्त (लाईसेंस की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा-फटा तथा पानी में भीगने के बाद खराब हो जाने, पठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ पत्र एवं आवश्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जांचोपरान्त लाईसेंस का नया बुक जारी किया जा सकेगा।

उदाहरण- यदि क्षमता प्रमाण पत्र मीडियम वोल्टेज उपकरणों का होगा तो वह ठीकेदार हाई वोल्टेज अथवा एक्सट्रा हाई वोल्टेज का कार्य को हाथ नहीं ले सकेगा।

(viii) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा। व्यक्ति विशेष किसी फर्म या आवेदक के नाम पर अनुज्ञा-पत्र लेते हैं तो उन्हें पासपोर्ट साईज अथवा स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटो विहित प्रपत्र के साथ राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा। इसके साथ उनके पहचान हेतु दो सम्रान्त व्यक्तियों का परिचय भी देना होगा।

(11) आवेदन प्रकरणों में एक अर्थ टेस्टर एवं इंसुलेशन मेगर का रखना एवं सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के सन्क्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

20. प्रत्येक तीन वर्ष के अंत में लाईसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया की जायेगी उसके एक माह पूर्व आवेदक आवेदन देगा जिसमें पिछले तीन वर्षों में दिए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत होगा । जो ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके अनुज्ञा-पत्र का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा ।

21. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार जो स्वयं पर्यवेक्षक नहीं हों, एक मात्र अपने नियोजन में कम से कम एक पर्यवेक्षक को नहीं रखे तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और यदि लाईसेंस के इस प्रकार अमान्य हो जाने के एक महीने के भीतर लाईसेंसधारी पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्रधारी किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करे, तो लाईसेंस स्वतः रद्द हुआ समझा जायेगा और लाईसेंसधारी लाईसेंस की रद्दगी के लिए बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा ।

22. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार किन्हीं अन्य एजेन्सियों के अधीन नियोजन स्वीकार कर ले तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और ठीकेदार अपना लाईसेंस बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा ।

23. लाईसेंस प्राप्त ठीकेदारों के पर्यवेक्षकों और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) का कदाचार :-

(i) जहां विद्युत आपूर्ति प्राधिकार या उस व्यक्ति की राय में, जिसके लिए कोई विद्युत संस्थापन कार्य किया गया हो, कोई कार्य भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अनुसार हो तो यह विषय बोर्ड के सचिव के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जायेगा और उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना संबंधित पक्षों को दे दी जायेगी ।

(ii) यदि छानबीन और जांच के बाद विद्युत तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट या विद्युत पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र धारक करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठीकेदार बोर्ड द्वारा असावधानी, अक्षमता या इन शर्तों को भंग करने का दोषी पाया जाय तो लाईसेंसिंग बोर्ड ऐसे परमिट, प्रमाण पत्र या लाईसेंस को निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

(iii) ऐसे हर मामले में, जहां कथित अनाचार या इन शर्तों या किसी परमिट, सक्षमता प्रमाण पत्र या लाईसेंस की शर्तों अतिलंघन का रिपोर्ट मिले तो बोर्ड पूरी जांच करेगा और कथित आरोपी को अपना बचाव करने का समुचित अवसर देगा ।

24. बोर्ड इन शर्तों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाण-पत्र या लाईसेंस की रद्दगी या निलंबन सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के द्वारा संसूचित की जायेगी ।

25. ऐसे सभी आवेदन - पत्र, जिन्हें पेश करना इन शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, संबंधित जिले के जिलाधिकारी के सचिव के नाम दिये जायेंगे।

26. फीस :- लाईसेंस प्राप्त पात्रों और परमिटों के लिए जाने तथा उनके मान्यकरण के लिए निम्नांकित फीस भुगतान की जायेगी।

	ठीकेदार लाईसेंस	पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र	तारमिस्त्री परमिट (वायरमैन)
1	प्रारंभिक फीस	₹ 250/-	₹ 100/-
2	विहित समय के भीतर मान्यकरण की फीस	₹ 75/-	₹ 25/-
3	दूसरी प्रति देना	₹ 250/-	₹ 100/-
4	विहित समय के बाद मान्यकरण की फीस	₹ 250/-	₹ 10/- (दंड प्रतिमाह) ₹ 100/- (अधिकतम)
5	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आधार पर अन्य राज्य के क्षमता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन शुल्क		₹ 5/- (दंड प्रतिमाह) ₹ 25/- (अधिकतम) ₹ 50/-

टिप्पणी :- इस विनियम के अधीन भुगतान सभी फीस जिलाधिकारी के कार्यालय में चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा चुकाये जायेंगे।

27. परीक्षा के आवेदन पत्र और ठीकेदार लाईसेंस के फार्म संबंधित जिले के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।

31/15

(संदीप पौण्डरीक)

सचिव,


ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

जापांक-प्र01/क्षे0स्था0-34/01(खंड)- 3604 पटना, दिनांक- 10/7/13

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना।
2. सभी जिलाधिकारी, बिहार।
3. प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0लि0, पटना।
4. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0लि0, पटना।
5. मुख्य विद्युत अभियंता/मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

अनुरोध है कि अधिसूचना के आलोक में लाइसेंसिंग बोर्ड के गठन हेतु सदस्य अथवा सचिव-सह-सदस्य को नामित करने की कृपा की जाय।



सरकार के अपर सचिव,  
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।